राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 मार्च, 1995

क्रमांक 707-ज-2-95/4426.—श्री चन्द्र सिंह, पुत्र श्री गंगू राम, निवासी गांव सिघनवा, तहसील लोहारू, जिला भिवानी को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1770-ज-I-76/30388, दिनांक 29 सितम्बर, 1976 द्वारा 100 रुपये वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री चन्द्र सिंह की दिनांक 7 जनवरी, 1988 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री चन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती भूरी के नाम खरीफ, 1988 से 300 रुपये वार्षिक और रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

दिनांक 19 अप्रैल, 1995

क्रमांक 65-ज-2-95/5283.—श्री गुलाब सिंह, पुत्र श्री राम जी लाल, निवासी गांव गौंठड़ा टप्पा खोरी, तहसील रेवाड़ी, जिला महेन्द्रगढ़ (अब रेवाड़ी) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 465-र-III-69/8550, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री गुलाब सिंह की दिनांक 27 फरवरी, 1993 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री गुलाब सिंह की विधवा श्रीमती पार्वती देवी के नाम खरीफ, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

क्रमांक 920-ज-2-95/5287.—श्री शेर सिंह, पुत्र श्री रामजी लाल, निवासी गांव डाहर, तहसील पानीपत, जिला करनाल (अब पानीपत) को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरूस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1347 ज-2-82/31599, दिनांक 8 सितम्बर, 1982 द्वारा 150 रुपये वार्षिक और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी।

2. अब श्री शेर सिंह की दिनांक 19 जनवरी, 1987 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री शेर सिंह की विधवा श्रीमती नम्रो के नाम खरीफ, 1987 से खरीफ, 1992 तक 300 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1993 से 1,000 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं।

शुद्धि पत्र

दिनांक 27 मार्च, 1995

क्रमांक 552-ज-2-95/4430.—हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 552-ज-2-95/3347, दिनांक 10 मार्च, 1995 के पैरा 2 की प्रथम पंक्ति में दिनांक 13 नवम्बर, 1994 की बजाये 13 नवम्बर, 1984 पढ़ा जाये।

के० एल० वर्मा,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।